

भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019

अनुशंसा विवरण और कट-ऑफ अंक

(श्रेणीवार)

भारतीय आर्थिक सेवा

क्रम सं.	श्रेणी	रिक्ति	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्ति	उम्मीदवारों की अनुशंसा	न्यूनतम अर्हक मानक* (1000 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (1200 में से)
1.	सामान्य	14	01	13	13	399	547
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	शून्य	03	03	352	476
3.	अ.पि.व.	08	शून्य	08	08	335	483
4.	अ.जा.	05	शून्य	05	05	298	413
5.	अ.ज.जा	02	शून्य	02	02	322	468
	<b>कुल</b>	<b>32</b>	<b>01</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	---	---
<b>बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (पी.डब्ल्यू.बी.डी)</b>							
क.	बेंचमार्क विकलांगता - 1	01	01 [सामान्य.]	शून्य	01	219	375
	<b>कुल</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	---	<b>01</b>	---	---

\* गैर- बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 15% अंक और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 10% अंक के अध्याधीन।

क्रमशः पृ.-2/-

## भारतीय सांख्यिकी सेवा

क्रम सं	श्रेणी	रिक्ति	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा	बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों की अनुशंसा के पश्चात रिक्ति	उम्मीदवारों की अनुशंसा	न्यूनतम अर्हक मानक* (1000 में से)	अंतिम चरण में कट-ऑफ अंक (1200 में से)
1.	सामान्य	14	01	12@	12 [02 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 01 अ.पि.व. सहित]	432	589
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	शून्य	03	03	409	561
3.	अ.पि.व.	09	01	08	08	392	536
4.	अ.जा.	05	शून्य	05	05	318	466
5.	अ.ज.जा	02	शून्य	02	02	199	316
	<b>कुल</b>	<b>33</b>	<b>02</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	---	---
<b>बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार (पी.डब्ल्यू.बी.डी)</b>							
क.	बेंचमार्क विकलांगता - 1	01	01 [अ.पि.व.]	शून्य	01	164	371
ख.	बेंचमार्क विकलांगता - 3	01	01 [सामान्य.]	शून्य	01	202	292
ग.	बेंचमार्क विकलांगता - 4 एवं 5	01	शून्य	01	शून्य	---	---
	<b>कुल</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	---	---

\* गैर- बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 15% अंक और बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 5% अंक के अध्याधीन।  
 © कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं 36035/2/2017-स्था (आरईएस) दिनांक-15/01/2018 के नियम-8 के उप नियम 8.1 के अनुसार सामान्य रिक्ति के अंतर्गत 01 रिक्ति को बेंचमार्क विकलांगता - 4 और 5 वाले उम्मीदवार की अनुपलब्धता [के कारण रोक दिया गया है।

2. भारतीय आर्थिक सेवा/ भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2019 में जहां भी दो या इससे अधिक उम्मीदवारों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, वहां टाई के मामलों का समाधान आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है:-

(i) जिन उम्मीदवारों ने कुल 800 अंकों वाले अर्थशास्त्र/सांख्यिकी के चार पेपरों तथा 200 अंकों के साक्षात्कार में कुल मिलाकर अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सेवा में उच्चतर रैंक प्रदान किया जाए; तथा

(ii) जिन मामलों में उक्त (i) के आधार पर भी अंक बराबर हैं, वहां अधिक आयु वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक प्रदान किया जाए।